



# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: hr@upcl.org, Website: www.upcl.org

संख्या २५५९ -नि०(मा०सं०)/उपाकालि/अनु.ए./डीए-2022

दिनांक 17.06.2022

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय:** -उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत समस्त पूर्ण कालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान-दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त करें।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-1199/1(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 25-09-2017 एवं उपाकालि, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13536-नि(मा०सं०)/उपाकालि/7वांवे०आ० दिनांक 28-11-2017 के अनुक्रम में दिनांक 01-01-2016 से अनुमन्य सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में उपाकालि के अन्तर्गत कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-File No. FIN7-B/1/1/2022-XXVII-Finance Department (Computer No. 22807)/37013/2022, दि० 31-05-2022 की अनुरूपता में दिनांक 01-01-2022 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01, जनवरी, 2022	मूल वेतन का 34 प्रतिशत

- 2- इस आदेश में स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम-9(2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात् मंहगाई भत्ते का आंगणन हेतु विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 3- इस आदेश द्वारा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता 01 जनवरी 2022 से 31 मई 2022 तक के अवशेष (एरियर) मंहगाई भत्ते का भुगतान नकद किया जायेगा तथा दिनांक 01 जून, 2022 से अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा।
- 4- इस आदेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को गणनाक्रम में निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रूपया माना जाएगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।
- 5- कर्मचारी भविष्य निधि [E.P.F.] से आच्छादित कार्मिकों को मंहगाई भत्ते के एरियर की बारह प्रतिशत धनराशि ई०पी०एफ० अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात शेष नकद भुगतान किया जाएगा।
- 6- अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य मंहगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि [DUTY PERIOD] के लिए माना जाता है।


इस आदेशानुसार स्वीकृत/संशोधित बढ़े हुये मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उपमहाप्रबन्धक(वित्त)वेतन एवं भत्ते, उ०पा०का०लि०, देहरादून द्वारा अलग से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2449 -नि0(मा0सं0)/उपाकालि/अनु.ए./डीए-2022, तद्दिनांक, 17.06.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, समस्त निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 3- समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता(स्तर-2) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 4- समस्त महाप्रबन्धक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 5- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, .....
- 6- समस्त उपमहाप्रबन्धक(वित्त), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, .....
- 7- अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 8- समस्त अनुभाग, उ0पा0का0लि0, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 9- कट फाईल।

  
17.06.2022  
[ के0बी0 चौबे ]  
महाप्रबन्धक(मा0सं0)